संख्या-88/2021/1464/बावन-1-2021-01(126)/2013

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद के वि0ख0 रजापुर हेतु 150 इकाई एवं वि0ख0 भोजपुर में 500 इकाई हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में समर्पित की गयी द्वितीय किश्त की धनराशि को वर्ष 2021-22 में पुन: आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-4828/अ0सं0क0नि0-209/लेखा/बजट-सामा0/16-17 दिनांक 31.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उक्त परियोजना की द्वितीय किश्त की धनराशि समर्पित की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि में से जनपद गाजियाबाद के वि0ख0 रजापुर हेतु 150 इकाई एवं वि0ख0 भोजपुर में 500 इकाई हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 91.00 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु Genral Manager Gov. Interface Gras Educational and Traning Services Pvt.Lt. Mathura Road New Delhi को कायदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 91.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 45.50 लाख (रूपये पैतालिस लाख पचास हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित बजट रू0 100.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

http://shasanadesh.up.gov.in

(केन्द्रांश-100, राज्यांश-00) (रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित द्वितीय किश्त		कुल प्रस्तावित धनराशि (के0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**गाजियाबाद**	वि0ख0 रजापुर में अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास योजना	150	0.14	21.00	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50
	तदैव	वि0ख0 भोजपुर में अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास योजना	500	0.14	70.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00
		योग								**45.50**

3. अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा वजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग निर्देशों तथा समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।
3. योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
5. यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार कय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. प्रश्नगत कौशल विकास योजना के सम्बन्ध में व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। विद्यालयों के भवन की डिजाइन एवं क्षेत्रफल वही होगा जो केन्द्र / राज्य सरकार के व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।
7. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा समय-समय पर कौशल विकास योजना की गुणवत्ता की समीक्षा की जायेगी, ताकि शिक्षण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा ।
9. अवमुक्त धनराशि का दुरुपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
10. अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा शिक्षण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० को उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
11. उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये शिक्षण कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन को सूचित किया जायेगा।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।
14. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
15. अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।
16. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

17. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 का होगा।
18. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइड लाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।
19. पीएफएमएस डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-1(13)PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि निर्गत किये जाने की प्रक्रिया तथा अवमुक्त धनराशि के उपभोग के अनुश्रवण के सम्बन्ध में दी गयी सभी शर्तोंनिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित / किया जायेगा।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-**0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान का कार्यान्वयन** (के0 100/.रा0. 00- के0 + रा0)-20 सहायता अनुदान(गैर वेतन) सामान्य- के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-1679/दस-2021, दिनांक 21.10.2021 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

संख्या-1464(1)/बावन-1-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत कौशल विकास योजना हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कौशल विकास योजना के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से अनुदान न प्राप्त किया गया हो।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- जिलाधिकारी/जिला व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **गाजियाबाद**।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in